

पत्रांक (499) सीएसी / 16-432 सीएसी / 95-II

दिनांक 06 अगस्त, 2016

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक।
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)
4. समस्त सम्परीक्षा अधिकारी
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय:- परिवहन निगम की ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों में संशोधन के संबंध में।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं0-1151सीएसी / 16-294 सीएसी / 90 दिनांक 18.07.2016, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निगम बसों की किराया दरों में वृद्धि करते हुये साधारण सेवा की बसों हेतु 86 पैसे प्रति यात्री/किमी0 निर्धारित कर पुनरीक्षित किराया वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार साधारण ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों को संशोधित कर रू0 37.82 प्रति किमी0 निर्धारित किया गया है।

ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) का भाड़ा न्यूनतम 400 किमी0 प्रति दिन की दर से लिया जायेगा।

ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) का भाड़ा 24 घन्टे प्रति दिन की दर पर वसूला जायेगा।

ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) के भाड़े में नियमानुसार निधियों की गणना की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार किराया दरों को संशोधित कर नियमानुसार लागू कराने का कष्ट करें।

(एच0 एस0 गाबा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0)

पत्रांक:-समसंख्यक एवं समदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक/निजी सचिव, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय।
3. प्रधान प्रबन्धक(एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय।
5. सम्परीक्षा अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।

(एच0 एस0 गाबा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0)